ईश्वर दयाल परसन्दी देवी (स्नातकोत्तर) कॉलिज, बुलन्दशहर

आचरण संहिता

(अपेक्षित व्यवहार, नैतिक मानक, नियम एवं उत्तरदायित्व)

सत्र - 2024-25

Scanned with OKEN Scanner

ईश्वर दयाल परसन्दी देवी (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय, बुलन्दशहर

ईश्वर दयाल परसन्दी देवी (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय, बुलन्दशहर अपनी गौरवमयी परम्परा का निर्वहन करने तथा इसे अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये सभी संबंधित पक्षकारों के लिये एक आदर्श आचार संहिता का निर्धारण एवं पालन करता है। महाविद्यालय अपने इस दायित्व से भलीभांति परिचित है कि महाविद्यालय के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। महाविद्यालय ने अपने स्थापना वर्ष से अब तक कई नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं, जिनके मूल में महाविद्यालय की आचार संहिता एक आधार के रूप में कार्य कर रही है। चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ व यू0जी0सी0 द्वारा स्थापित एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंगीकृत आचार संहिता 2018 को आई0पी0 कॉलिज अपने प्रबन्धन, प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र-छात्राओं द्वारा स्थापित आचार संहिता का अक्षरतः पालन करने हेतु प्रेरित करता है।

1. शिक्षक और उनके दायित्व :

यदि कोई भी व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाता है तो उसका दायित्व होता है कि वह शिक्षण के आदर्शों के अनुरूप अपने आचरण को बनाए रखे। एक शिक्षक लगातार अपने छात्रों और समाज की समीक्षा के अधीन रहता है। इसलिए, प्रत्येक शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कथनी और करनी के बीच कोई भेद नहीं हो। पहले से ही निर्धारित शिक्षा के राष्ट्रीय आदर्शों और उन्हें छात्रों को प्रसार करना एक शिक्षक का स्वयं का आदर्श होना चाहिए। इस व्यवसाय में आगे यह भी आवश्यक है कि शिक्षक शांत, धैर्यवान, मिलनसार और मैत्रीपूर्ण स्वभाव का हो।

शिक्षक को:

(i) ऐसा जिम्मेदारी भरे आचरण तथा व्यवहार का पालन करना चाहिए जैसा कि समुदाय उनसे आशा करता है।

(ii) उन्हें अपने निजी मामलों का इस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए जो कि पेशे की प्रतिष्ठा के अनुरूप हों।

(iii) अध्ययन और शोध के माध्यम से लगातार पेशेवर विकास जारी रखने चाहिए।

(iv) ज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पेशेवर बैठकों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों इत्यादि में भागीदारी करके मुक्त और मैत्रीपूर्ण विचार व्यक्त करने चाहिए।

(v) पेशेवर संगठनों में सक्रिय सदस्यता को बनाए रखना चाहिए और उनके माध्यम से शिक्षा और व्यवसाय को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए।

(vi) विवेकपूर्ण और समर्पण भावना से शिक्षण, अनुशिक्षण, प्रायोगिक ज्ञान, संगोष्ठियों और शोध कार्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

(vii) शिक्षण और शोध में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में शामिल नहीं होना और उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए।

(viii) विश्वविद्यालय के अधिनियम, सांविधि और अध्यादेश का पालन करना चाहिए और विश्वविद्यालय के आदर्शों, विजन, मिशन, सांस्कृतिक पद्धतियों और परंपराओं का आदर करना चाहिए।

(ix) महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक दायित्वों से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन करने में सहयोग और सहायता प्रदान करना जैसे कि प्रवेश हेतु आवेदनों का मूल्यांकन करने में सहायता करना, छात्रों को परामर्श देना और उनका मार्गदर्शन और निगरानी करना, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करने सहित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में परीक्षाएं आयोजित कराने में सहायता करना।

(x) सामुदायिक सेवा सहित सह- पाठ्यचर्या और पाठ्येत्तर कार्यकलापों के विस्तार में भागीदारी करना।

2. शिक्षक और छात्र :

(i) छात्रों को विचार व्यक्त करने के उनके अधिकारों और प्रतिष्ठा का आदर करना चाहिए।

(ii) छात्रों के धर्म, जाति, लिंग, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक गुणों को ध्यान में नहीं रखते हुए उनसे निष्पक्ष और बिना भेदभाव व्यवहार करना चाहिए।

(iii) छात्रों के व्यवहार और क्षमताओं में अंतर को पहचानना और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।

(iv) छात्रों को उनकी उपलब्धियों में और सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए और सामुदायिक कल्याण में योगदान देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।

(v) छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति, जिज्ञासा का भाव और लोकतंत्र, देश भक्ति, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, और शांति के आदर्श का संचरण करना चाहिए।

(vi) छात्रों के साथ सम्मान से व्यवहार करना और किसी भी कारण के लिए किसी के साथ प्रतिशोधात्मक तरीके से व्यवहार नही करना चाहिए।

(vii) गुणों का मूल्यांकन करने में छात्र की केवल उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहिए।

(viii) कक्षा के समय के बाद भी छात्रों के लिए स्वयं को उपलब्ध कराना और बिना किसी लाभ और पुरस्कार के छात्रों की सहायता और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए।

(ix) छात्रों में हमारी राष्ट्रीय विरासत और राष्ट्रीय उद्देश्यों की समझ विकसित करने में सहायता करना चाहिए। (ग) अन्य छात्रों, सहपाठियों अथवा प्रशासन के विरुद्ध छात्रों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

3. शिक्षक और सहयोग शिक्षक :

(i) पेशे से जुड़े अन्य सदस्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह स्वयं के साथ पसंद करेंगे।

(ii) अन्य शिक्षकों के बारे में आदरपूर्वक बात करना और पेशेवर बेहतरी के लिए सहायता देनी चाहिए।

(iii) उच्च प्राधिकारियों को सहयोगियों के विरुद्ध बेबुनियादी आरोप लगाने से बचना चाहिए।

(iv) अपने पेशेवर प्रयासों में जाति, रंग, धर्म, प्रजाति अथवा लिंग संबंधी विचारों को नहीं आने देना चाहिए।

4. शिक्षक और प्राधिकारी :

(i) लागू नियमों के अनुसार अपने व्यवसायिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और अपने स्वयं के संस्थागत निकाय और/ अथवा व्यवसायिक संगठनों के माध्यम से पेशे के लिए घातक ऐसे नियम में परिवर्तन के लिए कदम उठाने के लिए पेशे के अनुकूल प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन करना चाहिए जो पेशेवर हित में हों।

(ii) निजी ट्यूशन और अनुशिक्षण कक्षाओं सहित अन्य कोई रोजगार और प्रतिबद्धता से दूर रहना चाहिए, जिससे उनके पेशेवर उत्तरदायित्वों में हस्तक्षेप होने की संभावना हो।

(iii) विभिन्न पदों का कार्यभार स्वीकार करके और उक्त पदों के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके संस्था की नीति निर्माण में सहयोग करना।

(iv) अन्य संस्थाओं की नीतियों के निर्माण में अपने संगठनों के माध्यम से सहयोग करके पदों को स्वीकार करेंगे।

(v) पेशे की मर्यादा के अनुरूप और हितों के मद्देनजर संस्थाओं की बेहतरी हेतु प्राधिकरणों का सहयोग करना चाहिए।

(vi) परिशिष्ट की शर्तों का अनुपालन करेंगे।

(vii) किसी स्थिति में नियोजन में परिवर्तन से पहले उचित नोटिस देंगे और ऐसे नोटिस की अपेक्षा करेंगे।

(viii) अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त छुट्टियां लेने से बचेंगे और और जहां तक संभव हो सके शैक्षणिक सत्र को पूरा करने हेतु अपने विशेष उत्तरदायित्वों के मद्देनजर छुट्टी लेने से पूर्व सूचना प्रदान करेंगे।

5. शिक्षक और शिक्षणेत्तर :

शिक्षक को चाहिए कि :

(i) प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में सहयोग से किए जाने वाले कार्यों में शिक्षणेत्तर स्टॉफ को अपना सहकर्मी और समान सहयोगी समझें।

(ii) शिक्षकों और शिक्षणेत्तर स्टॉफ से संबंधित संयुक्त स्टॉफ परिषदों के कार्य में सहायता करें।

Scanned with OKEN Scanner

6. शिक्षक और प्राधिकारी :

शिक्षक और अभिभावक :

शिक्षक को चाहिए कि:

(i) शिक्षक, निकायों और संगठनों के माध्यम से इस बात पर ध्यान देने का प्रयास करें कि संस्थाएं, अभिभावकों, अपने विद्यार्थियों के साथ संपर्क बनाएं और जब कभी आवश्यक हो, अभिभावकों को उनकी निष्पादन रिपोर्ट भेजें और परस्पर विचारों के आदान- प्रदान और संस्था के लाभ हेतु इस प्रयोजनार्थ आयोजित बैठकों में अभिभावकों से भेंट करें।

7. शिक्षक और समाज :

शिक्षक को चाहिए कि:

(i) इस बात को स्वीकार करें कि शिक्षा एक जन सेवा है और चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए प्रयास करें।

(ii) समाज में शिक्षा में सुधार करने और समाज के नैतिक और बौद्रिक जीवन को सुदृढ़ करने के लिये कार्य करें।

(iii) सामाजिक समस्याओं से अवगत हों और ऐसी क्रियाकलापों में भाग लें जो समाज की प्रगति और कुल मिलाकर देश की प्रगति में सहायक हों।

(iv) नागरिक के कर्तव्यों का निर्वहन करें, सामाजिक क्रियाकलापों में भाग ले और सरकारी सेवा के उत्तरदायित्वों में सहायता करें।

(v) ऐसी क्रियाकलपों में भाग लेने से और सदस्य बनने या किसी भी प्रकार से सहायता करने से बचें जो विभिन्न समुदायों, धर्मो या भाषाई समूहों में नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देती है, परंतु राष्ट्रीय एकता के लिए सक्रिय होकर कार्य करें।

8. महाविद्यालय के प्राचार्य को चाहिए कि:

(i) नीति निर्माण, प्रचालन प्रबंधन, मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग और पर्यावरण और धारणीयता के माध्यम से महाविद्यालय को प्रेरणादायक और प्रेरक मूल्य आधारित अकादमिक और कार्यकारी नेतृत्व प्रदान करें।

(ii) पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी, सर्वोच्च नैतिकता के साथ आचरण करें और निर्णय लें, जो महाविद्यालय के सर्वोत्तम हित में हो।

Scanned with OKEN Scanner

(iii) कार्य और शिक्षा कि लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण, इष्टतम तथा प्रभावी तरीके और कुशलता के साथ संसाधनों के प्रबंधन में महाविद्यालय की संपत्ति के प्रबंधक के रूप में कार्य करें।

(iv) महाविद्यालय में सहयोग, साझा करने और परामर्श से कार्य करने की संस्कृति को बढ़ावा दें जिससे अभिनव सोच और विचारों के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके।

(v) ऐसी कार्य संस्कृति और नैतिकता को बढ़ावा देने का प्रयास करें जो राष्ट्र और समाज के लिए गुणवत्ता, व्यावसायिकता, संतुष्टि और सेवा प्रदान करें।

(vi) आचरण और व्यवहार में उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिमानों का अनुपालन करें जिसकी समाज उनसे अपेक्षा करता है।

(vii) पेशे की गरिमा के अनुरूप अपने निजी मामलों का प्रबंधन करें।

(viii) शिक्षण और शोध में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में संलिप्त न हों और इसे हतोत्साहित करें।

(ix) समाज सेवा सहित विस्तार, पाठ्यचर्या से जुड़े हुए और पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में भाग लें।

(x) अपने पेशेवर प्रयासों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग पर विचार करने से बचें।

9. महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद प्रभारी को चाहिए कि वहः

(i) आचरण और व्यवहार में उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिमानों का अनुपालन करें जिसकी समाज उनसे अपेक्षा करता है।

(ii) पेशे की गरिमा के अनुरूप अपने निजी मामलों का प्रबंधन करें।

(iii) शिक्षण और अनुसंधान में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में संलिप्त न हों और इसे हतोत्साहित करें।

(iv) समाज सेवा सहित विस्तार, पाठ्यचर्या से जुड़े हुए और पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में भाग लें।

(v) अपने पेशेवर प्रयासों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग पर विचार करने से बचें।

Scanned with OKEN Scanner

शिक्षक वर्ग

ऊपर की पंक्ति में (बाएं से दाएं) : श्री कम्मोद कुमार, डॉ. राम कुमार, डॉ. सुनील कुमार, डॉ. प्रीती चौधरी, डॉ. यशवन्त राय, श्रीमती शिखा राजपूत, डॉ. अखिलेश सिंह, श्री दीपक कुमार यादव, श्री रंजीत कुमार मौर्य
नीचे की पंक्ति में (बाएं से दाएं) : डॉ. चारूल शर्मा, डॉ. अमित शर्मा, डॉ. अलका गुप्ता, डॉ. अरविन्द कुमार (प्राचार्य), डॉ. पूनम पालीवाल (उप प्राचार्य), डॉ. छाया चौधरी, श्री अरविन्द कुमार

शिक्षणेत्तर वर्ग

ऊपर की पंक्ति में (बाएं से दाएं) : श्री मुकेश अग्रवाल, श्रीमती आशा, श्री मनोज, श्री कल्याण दास, श्री महेश कुमार, श्री अतुल कुमार, श्री योगेश कुमार तोमर, श्री तेजवीर सिंह, श्री रोहताश सिंह, श्री किशनलाल, श्री बृजेश, श्री सुशील कुमार, श्री संदीप कुमार
नीचे की पंक्ति में (बाएं से दाएं) : श्री पंकज मांगलिक, श्री उपेन्द्र शर्मा, श्री गौरव मिनोचा, डॉ. अरविन्द कुमार (प्राचार्य), डॉ. पूनम पालीवाल (उप प्राचार्य), श्री सागर सक्सैना, श्री अमन शर्मा, श्री गौरव वर्मा

Scanned with OKEN Scanner

I.P. COLLEGE, BULANDSHAHR
PROCTORIAL BOARD
MEMBERS
SI. NO
NAME
DESIGNATION
1
DR. CHHAYA CHAUDHARY
CHIEF PROCTOR
2
PROF. POONAM PALIWAL
PROCTOR
3
DR. ARVIND KUMAR (COMMERCE)
PROCTOR
25/01/2025 14:09